भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 810

गुरुवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>स्वच्छ ऊर्जा का विकास</u>

810. एडवोकेट अदूर प्रकाशः
डॉ. ए. चेल्लाकुमारः
श्री के. सुधाकरनः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए आरम्भ की गई/की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2030 तक देश में कुल विद्युत आवश्यकता में पचास प्रतिशत से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई ठोस रणनीति तैयार की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग): भारत ने पेरिस में कॉप-21 में अपने एनडीसी में प्रतिबद्धता की थी कि वह 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी 40 प्रतिशत स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा। इसने नौ वर्ष पहले ही वर्ष 2021 में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।

आज गैर-जीवाश्म स्रोतों से भारत की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 186.46 गीगावाट है, जो इसकी कुल स्थापित क्षमता का 43.82 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, 114.08 गीगावाट क्षमता कार्यान्वित की जा रही है। भारत द्वारा समय से पहले लक्ष्य हासिल कर लिए जाने के फलस्वरुप इसने ग्लासगो में कॉप-26 में प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50 प्रतिशत स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा।

सरकार ने देश में अक्षय ऊर्जा को बढावा देने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2029-30 तक, वितरण कंपनियों सहित नामित उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म संसाधनों की खपत का न्यूनतम हिस्सा निर्धारित करना,

- बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु भूमि एवं पारेषण उपलब्ध कराना,
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली (एलपीएस नियमावली)" को अधिसूचित करना,
- एक्सचेंज के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई,
- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया।
- वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जारी की जाने वाली अक्षय विद्युत बोलियों के लिए निर्धारित ट्रेजेक्टरी को अधिसूचित करना। इस ट्रेजेक्टरी के तहत, प्रति वर्ष 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बोलियां जारी की जाएंगी।

*****